''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर 2006—कार्तिक 19, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक 13162/21-अ/प्रारूपण/छ. ग./2006.—छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 (क्रमांक 26 सन् 1997) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला-रायपुर के इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी/1449/21-अ/प्रा./छ. ग./2001, दिनांक 30 मार्च, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 1 में कालम 4 के खंड 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जावे, अर्थात्:—

''11 तिवरैया''
''12 बरतनारा''
''13 भैंस मुड़ा''

2. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 2 में कालम 4 खंड 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जावे, अर्थात्:—

"11 मुरैठी"
"12 बहेसर"

3. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 3 में कालम 4 खंड 11 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जावे, अर्थात् :—

"12 कुथरैल"

4. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 5 में कालम 2 एवं कालम 3 में बिरगांव को विलोपित कर उसके स्थान पर कालम 2 एवं कालम 3 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :—

"गुमा"

उक्त अधिसूचना के ही कालम 4 के खण्ड 1 के ग्राम पंचायत-बिरगांव, खण्ड 2 के उरला, खण्ड 3 के रावांभाटा खण्ड 5 के अछोली एवं खण्ड-10 के सरोरा को विलोपित कर इनके स्थान पर कालम-4 के ग्राम पंचायत को पुन: क्रमांकवार निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :—

" 1. कुम्हारी"
" 2. कारा"
" 3. बाना"
" 4. पठारीडीह"
" 5. गुमा"
" 6. तेन्दुआ"
" 7. चिखली"
" 8. बेन्द्री"
" 9. गोमची"
"10. कन्हेरा"

5. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 6 में कालम 2 एवं कालम 3 तथा कालम 4 को पूर्णत: विलोपित कर दिया जावे.

6. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 7 में कालम 2 एवं कालम 3 तथा कालम 4 को पूर्णत: विलोपित कर दिया जावे.

7. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 8 में कालम 4 के खंड 5 के ग्राम पंचायत लालपुर को विलोपित कर दिया जावे तथा सरल क्र. 7 के ग्राम पंचायत बोरियाखुर्द एवं नवगठित ग्राम पंचायत हथबंद को प्रतिस्थापित कर इनके स्थान पर निम्नलिखित ग्राम पंचायतों को पुन: क्रमवार निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :—

"1. देवपुरी"
"2. धनेली"
"3. बोरियाकला"
"4. डूण्डा"
"5. सेजबहार"
"6. मुजगहन"
"7. दतरेंगा"
"8. कान्दुल"
"9. काठाठी"

"10. कन्हेरा"
"11. भटगांव"
"12. डोमा"
"13. बोरियाखुर्द"
"14. हथबंद"

Raipur, the 8th November 2006

NOTIFICATION

No. 13162/XXI-A/Drafting/C. G./06.—In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Chhattisgarh Gram Nyayalaya Adhiniyam, 1996 (No. 26 of 1997), the State Government hereby makes the following amendment in Department Notification No. D/1449/XXI-B/Draft/C. G./01, dated 30th March, 2001 relating to District Raipur, namely:—

AMENDMENT

In the Schedule of the said notification :—

1. After No. 10 in column No. 4 of serial No. 1, the following shall be inserted, namely :—

"11 Tivraiya"
"12 Baratnara"
"13 Bhais Muda"

2. After No. 10 in column No. 4 of serial No. 2, the following shall be inserted, namely :—

"11 Muraithi"
"12 Bahaisar"

3. After No. 11 in column No. 4 of serial No. 3 the following shall be inserted, namely :—

"12. Kutharail"

4. In Column 2 and 3 of Serial No. 5 for the word "Birgaon" the word "Guma" shall be substituted.

In Column No. 4 of Serial No. 5, the following shall be substituted :—

1. "Kumhari"
2. "Kara"
3. "Bana"
4. "Pathárideh"
5. "Guma"
6. "Tendua
7. "Chikhli"
8. "Bendre"
9. "Gomchi"
10. "Kanhera"

5. Column No. 2, 3 and 4 in serial No. 6 of the said notification shall be omitted.

6. Column No. 2, 3 and 4 in serial No. 7 of the said notification shall be omitted.

7. In No. 5 of column No. 4 of Serial No. 8, the word "Lalpur" shall be omitted and column No. 4 shall be re-numbered as :—

"1. Devpuri"
"2. Dhaneli"
"3. Boriakala"
"4. Gunda"
"5. Sejbahar"
"6. Mujgahan"
"7. Datrainga"
"8. Kandula"
"9. Ktahathi"
"10. Kanhera"
"11. Bhatgaon"
"12. Doma"
"13. Boriakhurd"
"14. Hathband"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार पोद्दार, उप सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.